

FORM NO-IIIफर्द अहकाम
(नियम 26)#2019/00 355
37/19अज अदालत- अपीलीय अधि० एवं जिला कलक्टर मुकाम अजमेर
रविन्द्र सिंह राठौड बनाम लोक सूचना अधि० एवं प्रभा० अधि० राजस्व शाखा, कलेक्ट्रेट अजमेर
किरम मुकदमा-सूचना का अधिकार अधि.-2005 प्रकरण संख्या 97 सन् 2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी है
------------	-----------------------------------	--

4/12/19

पत्रावली पेश हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा/न्याय शाखा, कलेक्ट्रेट अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का अपील मीमो के अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा द्वारा प्रेषित टिप्पणी दिनांक 22.10.2019 द्वारा वांछित सूचना का संबध न्याय शाखा से होना जाहिर किया गया है। जब कि प्रभारी अधिकारी न्याय शाखा द्वारा पत्र दिनांक 06.11.2019 से अपीलान्ट का आवेदन पत्र शाखा में प्राप्त नहीं होना अवगत कराया है। अतः उपरोक्त स्थिति के मध्यनजर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व/न्याय शाखा को निर्दिष्ट किया जाता है कि परस्पर समन्वय स्थापित कर निम्नानुसार उपलब्ध, देय सूचना/विनिश्चय से प्रार्थी/अपीलार्थी को आवेदन प्राप्त के 07 दिवस में अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें, साथ ही शाखा/कार्यालय में सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्रादि/आवेदनों का व्यवस्थित संधारण करावें, ताकि अपीलोत्तर एवं सूचना प्रदान करने में विलम्ब ना हों। अपील, अपीलान्ट इसी कदर से निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

2/12/19(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर, अजमेर